सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-**24.03.2022** के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री राम सिंह, स०वि०स०	"राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्राईवेट एजेन्सी उर्मिला के माध्यम से राज्य सरकार के उपक्रम बेल्ट्रॉन के अधीन अनुबंध पर लगभग 20 वर्षों से नियुक्त व कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के विभागीय समायोजन तथा सेवाशर्त्त/नियमावली के निरूपण हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-26.08.2020 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग से परामर्शोपरान्त ''सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली'' का गठन किया जायेगा, जिससे डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामर/आई० टी० मैनेजर आच्छादित होंगे । इस संदर्भ में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अपने ज्ञापांक-3ए-08-बैठक-02/2018-4524/वि०, पटना, दिनांक-04.09.2020 द्वारा तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग, पटना ने अपने ज्ञापांक-01-(स्था०)-सू०प्रा०-10/2020-181, पटना, दिनांक-29.01.2021 से आदेश विभिन्न विभागों को निर्गत भी किया है लेकिन कई वर्ष बीतने के बावजूद अभी तक इन कर्मियों के हित में सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली का गठन नहीं हो सका है । अतः राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामर/ आई० टी० मैनेजर के हित में ''सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली'' के गठन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	सूचना प्रावैधिकी

2. श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री पवन कुमार यादव, स०वि०स० डॉ० निक्की हेम्ब्रम, स०वि०स० श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'', स०वि०स०	"राज्य सरकार आवास, घर एवं कृषि भूमि को बचाने एवं सुरक्षित करने के लिए कृत-संकल्प है परन्तु राज्य की विभिन्न नदियों यथा-गंगा, कोसी, गंडक आदि से हो रहे कटाव से घर, गाँव, स्कूल आदि को बचाने के कारगर उपाय नहीं किये जा रहे हैं । उदाहरणस्वरूप भागलपुर जिला के बिहपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहारपुर, गोविंदपुर, मुसहरी, मैंचा, लोकमानपुर, सिंहकुंड, ढोढ़िया दादपुर, कालूचक, विषपुरिया आदि दर्जनों गाँव कोसी नदी से हो रहे कटाव के कारण विलीन हो जाने के कगार पर है । पूरे राज्य में कटाव से बचाव का कोई उपाय ससमय नहीं किया जा रहा है । अत: उपर्युक्त स्थलों समेत राज्य के अन्य स्थानों पर मुख्य नदियों से हो रहे कटाव को रोकने के लिए कटाव निरोधक कार्य किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	जल संसाधन

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2022- 1545 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2022- 1545 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2022- 1545 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / सूचना प्रावैधिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2022- 1545 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

23.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

23/3/22